राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–सुश्री महिमा कसाना, आई.ए.एस.

1. राजस्व वाद संख्या– 73/2023
2. जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2023/216
3. दायर दिनांक–27.12.2023
4. निर्णय दिनांक– 20.11.2024

उनवानी–

1. जाखड़ पब्लिक शिक्षण संस्थान तित्यांरी जरिये सचिव श्योदान जाखड़ नि0 ग्राम तित्यारी तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर

....प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़, जिला अजमेर

....अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू–राज0 अधिनियम 1956

निर्णय

उपस्थिति– 1. श्री अरविन्द दाधीच वकील वादी/प्रार्थी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की एकल कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि वाकै ग्राम तित्यारी पटवार हल्का पींगलोद भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र करकेड़ी तहसील रूपनगढ़ में स्थित है जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या नया 170 के ख0न0 292/57 रकबा 0.0970 है0 भूमि है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा सम्पूर्ण है एवं उक्त कृषि भूमि के राजस्व नक्शे में सहवन से मेरी संस्थानिक भूमि के ख0न0 220/57 के साथ तरमीम किया हुआ है जो सम्वत् 2026 के नक्शें के अनुसार तरमीम नहीं किया गया है। जबकि प्रार्थी ने जब विक्रय पत्र दिनांक 20.2.2019 को निष्पादन हुआ है उसके साथ प्रार्थी ने सम्वत् 2026 का नक्शा भी संलग्न किया था। लेकिन जब सेगरिगेशन हुआ उस दौरान राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि के कारण गलत तरमीम कर दिया गया। जिसको प्रार्थी के सम्वत् 2026 दिनांक 26.11.2019 को जारी राजस्व नक्शे के अनुसार तरमीम कर वर्तमान राजस्व नक्शे को दुरूस्त करवाना चाहता है। प्रार्थी की संस्थानिक और कृषि भूमि दोनो अलग–अलग है। जिनका राजस्व नक्शा भी अलग–अलग तरमीम होना चाहिए था। सम्वत् 2026 दिनांक 26.11.2019 को जारी राजस्व नक्शे के अनुसार किन्तु राजस्व कर्मचारियों के द्वारा सेगरिगेशन के दौरान गलत तरमीम दर्ज कर दिया है जिसके कारण प्रार्थी के कृषि भूमि के ख0न0 292/57 को मेरी संस्थानिक रूपान्तरित भूमि ख0न0 220/57 के नक्शें के साथ में तरमीम कर दिया जो कि गलत है। गलत अंकित होने से वादी को अपनी कृषि भूमि के विकास करने में व राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाली सुविधाएं, मुआवजा प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अप्रार्थी संख्या 1 भूमिधारी होने से प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि प्रार्थी के संवत् 2026 दिनांक 26.11.2019 को जारी [illegible] नक्शे के अनुसार तरमीम कर वर्तमान राजस्व नक्शे में किये जाने हेतु प्रार्थी के पक्ष में [illegible] किया जावे एवं उक्त वर्णित कृषि आराजी के राजस्व नक्शों में किये जाने हेतु [illegible] की कृपा करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahima Kasana
Date: 2024.12.02 13:58:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ऑन लाईन नक्शे में गलत हुई तरमीम को दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करावें। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब को ही बहस के तथ्य माने जाने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अध्ययन, दस्तावेजों का अवलोकन व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131, 136 राजस्थान भू –राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम शुद्धि करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ संलग्न नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न भाग होगा।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

महिमा कसाना
(आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahima Kasana
Date: 2024.12.02 13:58:22 IST
Reason: SelfAttested